निदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
1.03.2019	बन्दोबस्ती रद्द वाद सं0 06 / 2018—19 राज्य बनाम् श्री कार्तिक हाड़ी, पिता मैना हाड़ी, सा0 सिमराढाब, थाना बिरनी **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर—सरिया के पत्रांक 532 दिनांक 23.06.2018 द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, बिरनी के पत्रांक 615 दिनांक 22.06.2018 द्वारा बिरनी अंचल के अन्तर्गत मौजा सिमराढाब थाना नं0 37 के अन्दर खाता सं0 57 प्लॉट नं0 37 रकवा 0.66 एकड़ गैरमजरूआ खास खाते की भूमि भू—बंदोबस्ती केश सं0 04 / 76—77 के तहत् कार्तिक हाड़ी, पिता स्व0 मैना हाड़ी, सा0 सिमराढाब के नाम से दिया गया था। उल्लेखित है कि उक्त भूमि के लाभुक कार्तिक हाड़ी ने उपायुक्त की अनुमति प्राप्त किये बगैर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की प्रावधानों का उल्लंघन कर अनाधिकृत तरीके से सम्पन्न व्यक्तियों के पास बिक्री कर दिया है। सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के संकल्प संख्या 6144 / रा0 दिनांक 21.12.2017 II (vi) में यह उल्लेखित है कि ऐसी जमाबंदी स्वतः रद्द समझी जाएगी। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(b) के तहत् उक्त भू—बंदोबस्ती को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही प्रश्नगत निबंधन के रद्द हेतु जिला अवर निबंधक, गिरिडीह को कार्यवाही समर्पित करने का निदेश दिया जा सकता है। अपरिहार्य कारणवश दिनांक 28.02.2019 को आदेश नहीं लिखा जा सका था। अभिलेख उपायुक्त के समक्ष रखी जाय। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।	

Digitally signed by BIJAY SINGH BIRUA
Date: 2025.03.03 16:23:50 +05:30
Location: 192.168.101.4